आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ 7(4)रूक्टा राष्ट्रीय/अकाद/आकाशि/17/401 दिनांकः 14/अक्टूबर, 2019

प्राचार्य,
समस्त राजकीय महाविद्यालय,
राजस्थान।

विषयः रूक्टा (राष्ट्रीय) द्वारा मेहसाणा (गुजरात) में दिनांक 08–10 नवम्बर, 2019 को आयोजित सप्तम त्रय अधिवेशन में भाग लेने एवं विशेष आकस्मिक (अकादमिक) अवकाश तथा नियमानुसार यात्रा अवधि अवकाश स्वीकृत करने की अनुमति बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि रूक्टा (राष्ट्रीय) द्वारा दिनांक 08–10 नवम्बर, 2019 को मेहसाणा (गुजरात) में सप्तम त्रय अधिवेशन आयोजित किया जा रहा है। उक्त अधिवेशन में भाग लेने वाले संयुक्त निदेशक/उप निदेशक/प्राचार्य/उपाचार्य /सहायक निदेशक/समन्वयक/सहायक/सह आचार्य/पुस्तकालयाध्यक्ष/शारीरिक शिक्षक एवं आयुक्तालय / सचिवालय में पदस्थापित सहायक/सह आचार्य को राजस्थान सेवा नियम के प्रावधानों एवं राज्य सरकार के आदेश क्रमांकः एफ 1(12)एफ.डी. (ग्रुप–2)/83 दिनांक 1–4–83 के अन्तर्गत नियमानुसार दिनांक 08–10 नवम्बर, 2019 का विशेष आकस्मिक (अकादमिक) अवकाश तथा नियमानुसार यात्रा अवधि अवकाश स्वीकृत करने की अनुमति प्रदान की जाती हैं।

उपर्युक्त अधिकारियों को केवल मात्र एक संगठन द्वारा आयोजित अधिवेशन में भाग लेने तथा उक्त दिवसों का उपस्थिति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही उक्त अवकाश का लाभ देय होगा।

उक्त अधिवेशन में भाग लेने वाले अधिकारियों को यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता देय नहीं होगा।

भवदीय,

(प्रदीप कुमार बोरड़)
आयुक्त, कॉलेज शिक्षा एवं
विशिष्ट शासन सचिव,उच्च शिक्षा,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ 7(4)रूक्टा राष्ट्रीय/अकाद/आकाशि/17/401 दिनांकः 14 अक्टूबर, 2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:–

1. निजी सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राज0, जयपुर।
2. समस्त संयुक्त निदेशक/उप निदेशक/सहायक निदेशक/ समन्वयक/सहायक आचार्य/सह आचार्य, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
3. महामंत्री, राजस्थान विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षक संघ (राष्ट्रीय), देराश्री शिक्षक सदन, राजस्थान विश्वविद्यालय परिसर, जयपुर को उनके पत्र क्रमांकः 6660 दिनांकः 25.09.2019 के संदर्भ में।
4. समस्त सहायक निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान।
5. वेबसाइट प्रभारी, आयुक्तालय। कृपया पत्र को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने का श्रम करें।
6. रक्षित पत्रावली।

14.10.19

(डॉ. आर.सी.मीना)
संयुक्त निदेशक(अकादमिक)